

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक-06/04/2017

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-50/2014 श्र०सं०.....01...../श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत श्रम सेवा संवर्ग के पदाधिकारी श्री श्याम प्रसाद सिन्हा, (सेवानिवृत्त) जिनकी श्रम अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की तिथि 31.3.2003 है तथा सम्पुष्टि की तिथि 31.3.2005 है, को वित्त विभाग के संकल्प सं० 630 दिनांक 21.01.10 एवं परिपत्र सं० 3623 दिनांक 31.3.10 में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 01.01.06 अथवा 4 वर्षों की सेवा (सम्पुष्टि सहित), जो भी बाद हो, के अनुरूप दिनांक 31.3.2007 से पे-बैंड ₹ 15,600-39,100/-, ग्रेड पे ₹ 5,400/- में वेतन प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. भविष्य में इस अधिसूचना में अंकित सूचनाओं से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि या भिन्नता पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त वित्तीय लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित किया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


  
(कामेश्वर प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-50/2014 .....01...../ पटना, दिनांक-06/04/2017

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/ महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/श्री श्याम प्रसाद सिन्हा, सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक, पंचशील नगर, वार्ड नं०-8, बाढ़, जिला-पटना/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, से अनुरोध है कि वित्त विभाग की संकल्प सं० 630 दिनांक 21.01.10 के अन्तर्गत निर्धारित सुसंगत प्रावधानों के अनुसार जाँच कर यथानुमान्य वेतनपुर्जा निर्गत करें।

  
सरकार के उप सचिव